

18<sup>2</sup>/<sub>16</sub>

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित

पीठासीन अधिकारी की मीटिंग में/धमज/अधिकाश पर मये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 23-2-16 को प्रस्तुत हो।

(6)

3/1/17

23<sup>2</sup>/<sub>16</sub>

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित

पीठासीन अधिकारी की मीटिंग में/धमज/अधिकाश पर मये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 18-3-16 को प्रस्तुत हो।

(6)

18<sup>3</sup>/<sub>16</sub>

पत्रावली पर (हृष्ट) कुकुमापु  
को कि 330। वकील वासी  
वास को यत्नाना नही  
चाहते है। वकील जात वासी  
ने काउन्स क्लेफ की  
नये वास के दफ के परत  
काने की इजाजत चाहते  
हुर विद्व। काने का विवेक  
किना। जिह पर वकील  
वासी को कोई आपत्ति नही  
है। ऊतः वास वासी एव  
जात वासी का काउन्स  
क्लेफ नया वास दफ  
काने की इजाजत के माफ  
एकीक किता जाता है।  
पत्रावली केवल मुमा  
होर दारीय दफत  
ही

जया वाद पेय मने की  
इजाजत के लाभ प्रवेदान  
विशेषतः  
[Signature]